



जनपद हमीरपुर

थाना- चिकासी

दिनांक 30.04.2026

थाना चिकासी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-41/2026 धारा 305,317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में--

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 28.04.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा वादी मुकदमा मिलन यादव की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 41/2026 धारा 305,317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मनोज पुत्र भगवानदास (उम्र करीब 35 वर्ष) निवासी सिकन्दरपुरा चरखारी रोड थाना राठ जिला हमीरपुर का नाम प्रकाश में आया, माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त मनोज पुत्र भगवानदास को मंगरौठ मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनोज पुत्र भगवानदास (उम्र करीब 35 वर्ष) निवासी सिकन्दरपुरा चरखारी रोड थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

10 किलो तांबे का तार व 3.5 मीटर नीले रंग व 03 मीटर सफेद रंग की समर केबल बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान-

मंगरौठ मोड़ के पास से

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मोहित देव
2. का0 गिरेन्द्र सिंह
3. रि0का0 विकास कुमार यादव

